NEXT IAS

दैनिक संपादकीय विश्लेषण

विषय

जनहित याचिकाओं (PIL) के क्षेत्राधिकार पर पुनर्विचार की परिचर्चा

जनहित याचिकाओं (PIL) के क्षेत्राधिकार पर पुनर्विचार की परिचर्चा

संदर्भ

- हाल ही में केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से जनहित याचिका (PIL) के ढाँचे पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है, यह कहते हुए कि कई बार ये "एजेंडा-प्रेरित मुकदमेबाज़ी" का रूप ले लेती हैं।
- इससे यह परिचर्चा तीव्र हो गई है कि क्या PIL अपने मूल उद्देश्य—हाशिए पर खड़े लोगों के लिए न्याय सुनिश्चित करने—से भटक गई है।

जनहित याचिका (PIL) के बारे में

- यह एक कानूनी तंत्र है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति या समूह सार्वजनिक हित की रक्षा हेतु न्यायालय जा सकता है, विशेषकर मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 32 एवं 226) के प्रवर्तन के लिए।
- यह न्यायिक नवाचार है जिसने पारंपरिक नियमों को शिथिल किया और प्रभावित न होने वाले व्यक्तियों को भी वंचितों की ओर से याचिका दायर करने की अनुमति दी।
- सर्वोच्च न्यायालय ने इसे अपने एपिस्टोलरी जुरिस्डिक्शन का हिस्सा माना है।
- **प्रमुख विशेषताएँ**
  - **शिथिल लोकस स्टैंडी:** कोई भी जनहितैषी व्यक्ति याचिका दायर कर सकता है।
  - **सार्वजनिक हित पर केंद्रित:** निजी विवादों पर नहीं।
  - **एपिस्टोलरी जुरिस्डिक्शन :** न्यायालय पत्र/पोस्टकार्ड को याचिका के रूप में स्वीकार करता है।
  - **न्यायिक सक्रियता का साधन:** न्यायालय सक्रिय हस्तक्षेप करता है।
  - **लचीली प्रक्रिया:** तकनीकीता कम और अधिक सुलभ।

भारत में PIL का विकास

- **उत्पत्ति (1970–80 के दशक):** न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती और वी.आर. कृष्ण अय्यर के नेतृत्व में।
  - बंधुआ मज़दूरी, कैदियों के अधिकार, पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित।
- **विस्तार (1990–2000):** शासन उपकरण के रूप में।
  - पर्यावरण, भ्रष्टाचार और नीतिगत मामलों में उपयोग।
  - न्यायालय ने संरचनात्मक आदेश दिए और क्रियान्वयन की निगरानी की।
- **समकालीन चरण:** दुरुपयोग को नियंत्रित करने और अतिरेक को सीमित करने की दिशा में।
  - न्यायालय अब तुच्छ PIL और न्यायिक अतिक्रमण से सावधान है।

PIL क्षेत्राधिकार से जुड़ी चिंताएँ

- **दुरुपयोग और तुच्छ याचिकाएँ:** प्रचार-प्रेरित या निजी हित वाली याचिकाएँ।
- **न्यायिक अतिक्रमण:** नीति-निर्माण और प्रशासनिक क्षेत्रों में हस्तक्षेप।
- **मुकदमों का भार:** तुच्छ PIL से लंबित मामलों की संख्या बढ़ती है।
- **राजनीतिकरण:** वैचारिक संघर्ष और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का साधन।
- **संस्थागत विशेषज्ञता की कमी:** पर्यावरण, अर्थव्यवस्था जैसे तकनीकी मामलों में न्यायालय की सीमाएँ।

न्यायिक एवं सरकारी प्रतिक्रियाएँ

- **न्यायिक उपाय:** *उत्तरांचल राज्य बनाम बलवंत सिंह चौफल (2010) में न्यायालय ने जनहित याचिका दाखिले हेतु अनिवार्य दिशा-निर्देश दिए।*
  - याचिकाकर्ता की साख की जाँच।
  - तुच्छ PIL को हतोत्साहित करना।
  - दुरुपयोग पर भारी लागत/दंड।
- **सरकारी दृष्टिकोण:** सरकार प्रायः कार्यपालिका के क्षेत्र में न्यायिक हस्तक्षेप और नीति क्रियान्वयन पर प्रभाव को लेकर चिंता जताती है।

परिचर्चा: क्या PIL क्षेत्राधिकार पर पुनर्विचार होना चाहिए?

- **पुनर्विचार के पक्ष में तर्क:**
  - दुरुपयोग रोकना और न्यायपालिका की विश्वसनीयता बनाए रखना।
  - संस्थागत संतुलन और शक्तियों का पृथक्करण सुनिश्चित करना।
  - न्यायपालिका की दक्षता बढ़ाना।
- **पुनर्विचार के विरुद्ध तर्क:**
  - हाशिए पर खड़े समूहों के लिए न्याय तक पहुँच का महत्वपूर्ण साधन।
  - कार्यपालिका की निष्क्रियता और शासन विफलताओं को संबोधित करने का माध्यम।
  - PIL को सीमित करना अधिकार-आधारित शासन को कमजोर कर सकता है।

निष्कर्ष एवं आगे की राह

- PIL भारतीय संवैधानिक लोकतंत्र का आधारस्तंभ है, जिसने नागरिकों और न्याय के बीच की दूरी को कम किया।
- परंतु पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना इसका विस्तार दुरुपयोग और संस्थागत चिंताओं को जन्म देता है।
- भारत को संतुलित सुधार रणनीति की आवश्यकता है, जिसमें न्यायिक सक्रियता और जवाबदेही का संतुलन हो।
- उपायों में शामिल हो सकते हैं:
  - न्यायिक समितियों द्वारा PIL की पूर्व-स्क्रीनिंग।
  - लोकस स्टैंडी के लिए सख्त दिशा-निर्देश, परंतु वास्तविक मामलों में लचीलापन।
  - दुरुपयोग पर उदाहरणीय लागत।
  - नीतिगत मामलों में न्यायिक संयम।
  - डेटा-आधारित और विशेषज्ञ समर्थित PIL को प्रोत्साहन।

स्रोत: TH

दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: भारत में जनहित याचिका (PIL) के क्षेत्राधिकार पर पुनर्विचार की आवश्यकता का परीक्षण कीजिए। इसके प्रभावी और जिम्मेदार उपयोग हेतु उपाय सुझाइए।